श्रम और रोजगार मंत्रालय

केंद्रीय मंत्री डॉ. मनसुख मांड वया ने अनौपचारिक क्षेत्र में श्र मकों के लए औपचारिकीकरण और सामाजिक सुरक्षा कवरेज: चुनौतियां और नवाचार पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का उद्घाटन कया

केंद्रीय मंत्री ने कहा क भारत का सामाजिक सुरक्षा दायरा 24.4 प्रतिशत से दोगुना होकर 48.8 प्रतिशत हो गया है

भारत की 65 प्रतिशत आबादी केंद्र सरकार की योजनाओं के तहत कम से कम एक सामाजिक सुरक्षा लाभ के अंतर्गत आती है: डॉ. मांड वया

केंद्रीय मंत्री ने अनुबंध आधारित कर्मचारियों (गग वर्कर्स) को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने की योजना की घोषणा की

आईएसएसए के अध्यक्ष डॉ. मोहम्मद अज़मान ने भारत की सामाजिक सुरक्षा प्रगति और नवाचार सत्रों की सराहना करते हुए अनौपचारिक श्र मकों के लए सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने में चुनौती संबंधी नीतियों पर चर्चा की

से मनार का पहला दिन जीवंत सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से भारत की सांस्कृतिक वरासत के उत्सव के साथ संपन्न हुआ

प्र वष्टि ति थ: 20 JAN 2025 6:20PM by PIB Delhi

केंद्रीय श्रम एवं रोजगार तथा युवा मामले एवं खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांड वया ने आज नई दिल्ली में "अनौपचारिक क्षेत्र में श्र मकों के लए औपचारिकीकरण एवं सामाजिक सुरक्षा कवरेज: चुनौतियां एवं नवाचार" वषय पर दो दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का उद्घाटन कया। इस तकनीकी संगोष्ठी के उद्घाटन सत्र में केंद्रीय श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री सुश्री शोभा करंदलाजे, स चव (श्रम एवं रोजगार) सुश्री सु मता डावरा, आईएसएसए अध्यक्ष डॉ. मोहम्मद अजमान सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

डॉ. मांड वया ने सभा को संबो धत करते हुए दो दिवसीय संगोष्ठी के महत्व का उल्लेख करते हुए इस बात पर जोर दिया क सामाजिक सुरक्षा आम लोगों तक पहुंचनी चाहिए ता क यह सुनिश्चित हो सके क वे अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा कर सकें। उन्होंने कहा क सामाजिक सुरक्षा की अवधारणा प्राचीन काल से चली आ रही है और यह एक सतत प्र क्रया बनी हुई है। महान दार्शनिक चाणक्य का उल्लेख करते हुए डॉ. मांड वया ने इस बात पर जोर दिया क गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों, वशेष रूप से समाज के सबसे निचले तबके के लोगों को सभी प्रकार के लाभ और जीवन जीने संबंधी पर्याप्त सु वधाएं मलनी चाहिए। उन्होंने इस बात पर बल दिया क स्वरोजगार करने वाले व्यक्तियों को भी सामाजिक सुरक्षा जैसे उपाय प्रदान कए जाने चाहिए।

डॉ. मांड वया ने कहा क भारत के आकार और जनसांख्यिकीय व वधता को देखते हुए, पछले एक दशक में कसी भी अन्य देश ने अपने नागरिकों के लए सामाजिक सुरक्षा में सुधार के लए भारत जितना काम नहीं कया है। उन्होंने उल्लेख कया "आईएलओ की वश्व सामाजिक सुरक्षा रिपोर्ट 2024-26 के अनुसार भारत का सामाजिक सुरक्षा दायरा 24.4 प्रतिशत से दोगुना होकर 48.8 प्रतिशत हो गया है। देश के लगभग 920 म लयन लोग, यानी 65 प्रतिशत आबादी, केंद्र सरकार की योजनाओं के तहत कम से कम एक सामाजिक सुरक्षा लाभ (नकद या वस्तु के रूप में) के अंतर्गत आते हैं। सामाजिक सुरक्षा कवरेज को बढ़ाने में भारत की पर्याप्त प्रगति के कारण दुनिया के औसत सामाजिक सुरक्षा कवरेज में 5 प्रतिशत अंकों की वृद् ध हुई है"। भारत ने स्वास्थ्य सुरक्षा, पेंशन सुरक्षा, आजी वका सुरक्षा और खाद्य सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति की है, जिससे अपने लोगों के लए व्यापक समर्थन सुनिश्चित हुआ है।

डॉ. मांड वया ने व शष्ट उपलब्धियों को साझा कया, जिनमें 600 म लयन भारतीयों के लए स्वास्थ्य सुरक्षा के अंतर्गत देश भर में 24,000 से अ धक अस्पतालों में 5 लाख रुपये तक का निःशुल्क स्वास्थ्य कवर उपलब्ध है। उन्होंने यह भी उल्लेख कया क खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने वाले निशुल्क खाद्यान्न वतरण से 800 म लयन लोग लाभान्वित होते हैं। उन्होंने कहा क ई-श्रम पोर्टल का शुभारंभ एक अन्य महत्वपूर्ण पहल रही है, जिसने 300 म लयन से अ धक अनौपचारिक श्र मकों का पंजीकरण करने और सामाजिक सुरक्षा लाभों तक पहुँचने में सक्षम बनाया है। उन्होंने उल्लेख कया क पछले 10 वर्षों में, इन सामाजिक सुरक्षा उपायों के कारण 248 म लयन लोग गरीबी से बच गए हैं।

केंद्रीय मंत्री ने भारत की प्रभावशाली आ र्थक वृद् ध पर भी प्रकाश डाला, जिसमें 6.7 प्रतिशत सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) वृद् ध और 643 म लयन लोगों का कार्यबल शा मल है। उन्होंने कहा क पछले 6 वर्षों में कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी 23.3 प्रतिशत से बढ़कर 41.7 प्रतिशत हो गई है। डॉ. मांड वया ने बढ़ती गग अर्थव्यवस्था का उल्लेख करते हुए घोषणा की क नई श्रम संहिता ने गग श्र मकों को परिभा षत कया है, और उन्हें सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाने के प्रयास कए जा रहे हैं।

केंद्रीय श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री सुश्री शोभा करंदलाजे ने भी इस सभा को संबो धत कया और से मनार के महत्व पर जोर देते हुए इसे समय की जरूरत बताया। उन्होंने इस बात का उल्लेख कया क यह अंतरराष्ट्रीय आयोजन अनौपचारिक श्र मकों के लए सामाजिक सुरक्षा को आगे बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। सुश्री करंदलाजे ने श्र मकों के अ धकारों को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा करने, उन्हें भेदभाव और शोषण से बचाने और समान आ र्थक और सामाजिक अवसर प्रदान करने के लए सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता को दोहराया। उन्होंने कहा क यह दृष्टिकोण प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा निर्धारित स्पष्ट दिशा के अनुरूप है, जो राष्ट्र निर्माण में अनौपचारिक क्षेत्र के श्र मकों की महत्वपूर्ण भू मका को स्वीकार करते

हैं और उन्हें "वक सत भारत" (वक सत भारत) बनाने में भागीदार बताते हैं। उन्होंने कहा क सरकार और सामाजिक सुरक्षा संस्थानों दोनों के लए यह आवश्यक है क वे ऐसे कार्यक्रम तैयार करने में नए तरीके अपनाए और सहयोग करें जो श्र मकों के लए सामाजिक सुरक्षा में अंतराल को प्रभावी ढंग से संबो धत करें।

इस कार्यक्रम में स चव (श्रम एवं रोजगार) सुश्री सु मता डावरा ने पर्याप्त सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने तथा गुणवत्तापूर्ण रोजगार सृजन के प्रति भारत की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला। उन्होंने जनसांख्यिकीय लाभांश का दोहन करने के महत्व पर जोर देते हुए कहा क भारत की 65 प्रतिशत से अ धक आबादी 35 वर्ष से कम आयु की है। सुश्री डावरा ने उल्लेख कया क औपचारिक क्षेत्र के लए सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लए सरकार ईपीएफओ और ईएसआईसी के माध्यम से केंद्रीय मंत्री डॉ. मनसुख मांड वया के मार्गदर्शन में सेवाओं को मजबूत कर रही है तथा श्र मकों के लए दायरे का वस्तार कर रही है। उन्होंने अनौपचारिक क्षेत्र के श्र मकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के सरकार के प्रयासों पर भी प्रकाश डाला, तथा ई-श्रम पोर्टल सहित कई योजनाओं के शुभारंभ का जिक्र कया, जो एक वन-स्टॉप समाधान के रूप में कार्य करता है। यह पहले से ही पोर्टल पर पंजीकृत 300 म लयन से अ धक असंगठित क्षेत्र के श्र मकों के लए केंद्रीय और राज्य कल्याण योजनाओं तक आसान पहुंच प्रदान करता है।

केंद्रीय मंत्री ने आईएसएसए-ईएसआईसी अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में देश में सामाजिक सुरक्षा कवर को मजबूत करने के लए श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा शुरू की गई पहलों जैसे ई-श्रम, राष्ट्रीय करियर सेवा पोर्टल आदि को प्रद र्शत करने वाले व भन्न प्रदर्शनी स्टालों का दौरा कया।

उन्होंने कॉफी टेबल बुक "भारत में सामाजिक सुरक्षा" का भी वमोचन कया, जिसमें व भन्न सामाजिक कल्याण योजनाओं के माध्यम से नागरिकों के लए सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने में भारत की यात्रा पर प्रकाश डाला गया है।

अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संघ (आईएसएसए) के अध्यक्ष डॉ. मोहम्मद अज़मान ने भी इस महत्वपूर्ण तकनीकी संगोष्ठी की मेजबानी के लए केंद्रीय मंत्री और ईएसआईसी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए सभा को संबो धत कया। उन्होंने सामाजिक सुरक्षा प्रणाली को मजबूत करने में भारत की असाधारण प्रगति की सराहना करते हुए कहा क इस क्षेत्र में देश का आतिथ्य और नेतृत्व इसे इस सभा के लए आदर्श स्थान बनाता है। डॉ. अज़मान ने अ धक समावेशी और मजबूत सामाजिक सुरक्षा ढांचा बनाने में ईएसआईसी और ईपीईएफओ द्वारा प्रद र्शत प्रतिबद्धता और नवाचार को स्वीकार कया। उन्होंने बायोमेट्रिक नामांकन प्रणाली से लेकर ई-गवर्नेंस प्लेटफ़ॉर्म तक भारत द्वारा अत्याधुनिक तकनीकों को अपनाने पर प्रकाश डाला, जो पारद र्शता और दक्षता में वैश्विक मानक स्था पत कर यह सुनिश्चित करते हैं क लाभ उन लोगों तक पहुंचें जिन्हें इसकी सबसे अ धक आवश्यकता है। उन्होंने 2021 में लॉन्च कए गए ई-श्रम पोर्टल की भी प्रशंसा की, जिसने सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा कवरेज के प्रगतिशील सार्वभौ मकरण के लए भारत की प्रतिबद्धता को और अ धक रेखां कत कया है।

इस कार्यक्रम में लैं गक समानता और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लए सामाजिक सुरक्षा दायरा बढ़ाने के साथ-साथ स्वास्थ्य और च कत्सा देखभाल बीमा कवरेज के पहलुओं पर भी कई वचार- वमर्श कए गए। पहले सत्र, "औपचारिकीकरण और सामाजिक सुरक्षा कवरेज: अवसर, चुनौतियां और रणनीतियां" ने क्षेत्र में श्रम बाजार के वकास की खोज की और उन कारकों की पहचान की जो अनौपचारिक क्षेत्र के श्र मकों के लए सामाजिक सुरक्षा कवरेज को चुनौतीपूर्णबनाते हैं। इसने अंतरराष्ट्रीय रणनीतियों और व्यापक राष्ट्रीय नीति दृष्टिकोणों को भी प्रस्तुत कया जो संस्थागत नवाचारों के लए एक रूपरेखा प्रदान करते हैं।

दूसरे सत्र में श्र मकों और अनौपचारिक क्षेत्र में काम करने वालों के लए सामाजिक सुरक्षा सुलभ बनाने के उद्देश्य से अच्छी व धयों और अ भनव उदाहरणों पर प्रकाश डाला गया। इन चर्चाओं में वत्तपोषण, सरलीकृत दस्तावेजीकरण, पंजीकरण, योगदान संग्रह प्र क्रया और लचीलेपन को बढ़ाने के लए अन्य उपायों पर चर्चा की गई, जिससे कठिनता से शा मल कए गए इन समूहों के लए सामाजिक सुरक्षा अ धक सुलभ हो सके।

दिन का तीसरा और अंतिम सत्र सामाजिक सुरक्षा कवरेज को बढ़ावा देने पर केंद्रित था, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया क इसे प्रासं गक और आसान बनाना ही पर्याप्त नहीं है। इसमें योगदान सब्सिडी, परिवार के सदस्यों के लए कवरेज और छोटे उद्यमों को कर्मचारियों को पंजीकृत करने में मदद करने के उपाय जैसे प्रोत्साहन, इसके दायरे में मुश्किल समूहों तक पहुँचने के लए महत्वपूर्ण हैं।

कार्यक्रम का समापन एक जीवंत सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ हुआ, जिसमें भारत की समृद्ध व वधता और वरासत को प्रद र्शत कया गया।

पृष्ठभू म:

यह अंतर्राष्ट्रीय संवाद भारत के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) और अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा एसो सएशन (आईएसएसए) के सहयोग से यशोभू म - इं डया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर में आयोजित कया गया था।

तकनीकी संगोष्ठी का उद्देश्य ए शया-प्रशांत देशों के नीति निर्माताओं, सामाजिक सुरक्षा प्रशासकों और वशेषज्ञों सहित 150 से अ धक हितधारकों को एक साथ लाना है, ता क अनौपचारिक क्षेत्र के श्र मकों को औपचारिक बनाने और सामाजिक सुरक्षा कवरेज का वस्तार करने की रणनीतियों पर चर्चा की जा सके। वश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र और आईएलओ जैसे प्र सद्ध अंतरराष्ट्रीय संगठनों के वरिष्ठ वशेषज्ञ संगोष्ठी के दौरान अपने वचार साझा कर रहे हैं। इसका प्राथ मक लक्ष्य अनौपचारिक क्षेत्र के श्र मकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लए हितधारकों की क्षमता को मजबूत करना है, जिसमें औपचारिकता, प्रोत्साहन, डजिटल समाधान और पहुंच संबंधी रणनीतियों पर केंद्रित चर्चा की जाएगी। ई-श्रम पोर्टल, राष्ट्रीय कैरियर सेवा पोर्टल और श्रम सुधार जैसी भारत की ऐतिहा सक पहलों पर प्रकाश डाला जा रहा है। इसके साथ ही औपचारिक श्र मकों के लए सामाजिक सुरक्षा को आगे बढ़ाने में ईएसआईसी और ईपीएफओ द्वारा की गई प्रगति पर भी प्रकाश डाला जा रहा है।

***